आज का पंचांग

▪ पंडित प्रो. विनोद शास्त्री

तिथि संवत् : पौष, शुक्ल पक्ष षष्ठी, मंगलवार रात्रि 11:58 तक रहेगी। विक्रम संवत् 2080, शाके 1945, हिजरी 1445, मुस्लिम माह रज्जब, तारीख 4, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, 16 जनवरी।

सूर्योदय कालीन नक्षत्र : उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 04:38 तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा। परिघ योग रात्रि 08:01 तक, इसके बाद शिव योग रहेगा। कौलव करण दोपहर 01:07 तक, इसके बाद तैतिल करण रहेगा।

ग्रह विचार (प्रातः 05:30) : सूर्य-मकर, चंद्र-मीन, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरु-मेष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुंभ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में स्थित है।

राहुकाल : दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा।

दिशाशूल : उत्तर दिशा : जरूरी हो तो तुलसी का पत्ता खाकर यात्रा करें।

शुभाशुभ ज्ञानम् : मंगल उदय पूर्व में रात्रि 10:10, अनुरूपा छठ बंगाल में, पंचक, विवाह मुहूर्त उत्तराषाढ़ा में, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 4:38 से।

चौघड़िया मुहूर्त : प्रातः 09:59 से 11:18 तक चर का चौघड़िया, प्रातः 11:18 से दोपहर 01:55 तक लाभ व अमृत का चौघड़िया, दोपहर 03:14 से सायं 04:32 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा।

आज जन्मे बच्चों के नामाक्षर व राशि

समय	नक्षत्र	चरण	पाया	राशि	नामाक्षर
07:21	उत्तराभाद्रपद	1	स्वर्ण	मीन	दू
11:45	उत्तराभाद्रपद	2	स्वर्ण	मीन	थ
05:21	उत्तराभाद्रपद	3	स्वर्ण	मीन	झ
22:58	उत्तराभाद्रपद	4	स्वर्ण	मीन	ञ
04:38	रेवती	1	स्वर्ण	मीन	दे

राशिफल

मेष : शुभ अंक...4 शुभ रंग...सफेद : अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार में लाभ की संभावना है। हृदयरोग एवं अस्थमा वाले विशेष सावधानी बरतें। खेलकूद एवं उत्सवों में सतर्क रहें।

वृष : शुभ अंक...1 शुभ रंग...पीला : सेहत में सुधार होगा, लेकिन यात्रा में सावधानी बरतें। पुराने लेन-देन के कारण थोड़ा तनाव रहेगा। भाग्योदय में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अपनी राय दूसरों पर न थोपें।

मिथुन : शुभ अंक...3 शुभ रंग...काला : मेहमानों के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने में सफल रहेंगे। पुरानी परंपरा में बदलाव लाभदायक रहेगा। विवाद से बचें।

कर्क : शुभ अंक...2 शुभ रंग...नीला : कृषि एवं कला से जुड़े लोगों को लाभ संभव है। व्यापारी वर्ग धैर्य से काम लें। कार्यक्षेत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। यात्रा का योग है।

सिंह : शुभ अंक...5 शुभ रंग...आसमानी : दूसरों के लिए ज्यादा सोचने का स्वभाव कष्ट दे सकता है। दृढ़ इच्छाशक्ति से बिगड़े काम सुधरेंगे। व्यापार व नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होने के आसार हैं।

कन्या : शुभ अंक...8 शुभ रंग...बैंगनी : शारीरिक एवं मानसिक शिथिलता संभव है। प्रतियोगी परीक्षा का भय रहेगा, लेकिन नई आशा भी रहेगी। अटका धन मिलने की संभावना है। आस्था बढ़ेगी।

तुला : शुभ अंक...9 शुभ रंग...भूरा : अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। आधुनिकता के चक्कर में पुरानी परंपराओं को तोड़ना ठीक नहीं है। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें।

वृश्चिक : शुभ अंक...7 शुभ रंग...नारंगी : कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी। अतिथि एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। भावुकता में लिया निर्णय बदलना पड़ सकता है।

धनु : शुभ अंक...6 शुभ रंग...रानी : अपनों के दोहरे व्यवहार से मन खिन्न रहेगा। नौकरीपेशा लोग थोड़ी उलझन महसूस करेंगे, लेकिन व्यापार में लाभ की संभावना है। यात्रा सुखद रहेगी। धैर्य रखें।

मकर : शुभ अंक..3 शुभ रंग...परपल : युवा मौज-मस्ती में समय बिताएंगे। बुद्धिचातुर्य से उलझनें सुलझा लेंगे। जरूरतमंदों की मदद करने से खुशी मिलेगी। घरेलू एवं व्यापारिक कारणों से खर्च संभव है।

कुंभ : शुभ अंक...5 शुभ रंग...मूंगिया : काम का भार दिनचर्या को अस्त-व्यस्त कर सकता है। हैसियत से अधिक खर्च करने से बचें। जिनको समय व धन दे रहे हैं, वे निराश करेंगे। संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा।

मीनः शुभ अंक...3 शुभ रंग...स्लेटी : खुले हाथ से खर्च का मन बनेगा, पर परिस्थितियां साथ नहीं देंगी। विवाह योग्य लोगों को शुभ संकेत मिलेंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यात्रा का योग है।

मैनेजमेंट फंडा

एन. रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु [raghu@dbcorp.in]

क्या आपके घर पर सर्दियां 'हॉट' हैं?

स्कूल के दिनों में भूगोल की किताबें मेरी पसंदीदा थीं। इसलिए नहीं कि मुझे वह विषय पसंद था। बल्कि इसलिए क्योंकि बाकी की तुलना में भूगोल की किताबें बड़ी होती थीं। आप सोच रहे होंगे विषय के प्रेम का आकार से क्या मतलब। राज यहां है। मैं उनके अंदर कॉमिक्स छुपाकर पढ़ा करता था! और जब पिता को शक हुआ कि बिना पलकें झपकाए मैं इतनी देर तक एक ही किताब से कैसे चिपका हूं तो वह पीछे से आए, भूगोल की किताब के नीचे छुपी कॉमिक ली और मेरी पिटाई कर दी। याद रखिए उन दिनों में ऐसा कोई कानून या माता-पिता को शिक्षित करने के लिए आमिर खान नहीं थे कि वे बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए जनवरी से लेकर मार्च तक के तीन महीने, जब तक परीक्षाएं नहीं निपट जातीं, जाड़े के मौसम में भी मेरे घर का माहौल "गर्म' होता था, वो भी नागपुर की सर्दियों में, जहां तापमान सर्दियों में 10 के नीचे ही रहता था। जाहिर है गर्मी की छुट्टियां शुरू होने तक वो कॉमिक्स पिता के ऑफिस के दराज में चली गईं। जब ये कॉमिक्स अचानक महीनों के लिए छीन ली जातीं और ताले में बंद रहतीं तो मुझे चिड़चिड़ी मचती। जब ये संघर्ष सालों तक चलता रहा और मेरे नखरे सड़क के आखिरी छोर तक सुनाई देते थे तो मेरे पिता ने प्रतिबंधों के लिए मुझे तैयार करना शुरू कर दिया। वह बैग में रखकर कॉमिक्स दफ्तर ले जाने लगे और लौटकर मुझे एक घंटा पढ़ने के लिए देते। क्योंकि मेरे पास सीमित समय होता तो मैं तेजी से पढ़ता और जल्दी से जल्दी पढ़कर खत्म कर देता। उन प्रतिबंधों ने मेरे अंदर तेजी से पढ़ने की आदत का बीज बोया। जब मैं दो घंटे से पढ़ रहा होता तो मां ये कहते हुए ब्रेक देतीं कि क्या तुम पढ़ाई जारी रखना चाहते हो या 15 मिनट के लिए मेरे साथ मंदिर चलना चाहते हो। आंखों को सुकून के साथ मंदिर के प्रसाद के रूप में मिष्ठान्न के इस ब्रेक की मुझे सख्त जरूरत होती।

ये 1960 के दशक की बात है। अब सीधा 2020 के दशक में आएं, वो भी कोविड के बाद। मैं ऐसे कई घर जानता हूं, जहां आज भी सर्दियां 'हॉट' होती हैं! मैं हाल ही में ऐसे एक घर गया। बच्चा एक फिल्म देख रहा था और तभी अचानक पेरेंट्स में से कोई आया और बिना चेतावनी के झट से टीवी बंद कर दी। जैसा मैं बचपन में चिढ़ जाता था, अचानक उपकरण बंद करने ये बच्चा भी खीझ गया, खासकर तब जब वह अपने पसंदीदा गेम या कुछ कंटेंट का मजा ले रहा था। ये घर सिर्फ एक उदाहरण भर है। कई माता-पिता बच्चे के स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित हैं। और यह चिंता हर साल के शुरुआती तीन महीनों में सामने आती है क्योंकि फाइनल परीक्षा साल की दूसरी तिमाही में दाखिल होने से ठीक पहले होती है। जिस भी घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वहां ये हर साल होता है।

संक्षेप में कहूं तो इन घरों में युद्ध जैसा होता है, जिसे मैं "टेक-टेंट्रम' कहता हूं और माता-पिता "टेक-ट्रांजिशन' जैसे समाधान से बेखबर हैं। घरों में "टेक-टेंट्रम' झेल रहे आधुनिक माता-पिता बुजुर्गों से सीख सकते हैं, बच्चों को तैयार कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम कब पूरा होगा। उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि "इस शो के सिर्फ दो एपिसोड देख सकते हो या जब यह गेम खत्म हो जाए तो बंद कर दें'। इससे बच्चों को ये जानने में मदद मिलेगी कि टेक्नोलॉजी के साथ बिताने के लिए उनके पास कितना वक्त है और उस समय में वह उससे अधिकतम मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं मंदिर गया, आप भी बच्चों को टहलाने के लिए पार्क में ले जाएं।

फंडा यह है कि अगर आपके घर पर सर्दियां "हॉट' हैं तो अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से टेक-ट्रांजिशन के अपने तरीके ईजाद करें।

दैनिक भास्कर एप पर मैनेजमेंट फंडा बाय एन रघुरामन का वीडियो देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। आज का शीर्षक है : 'प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले स्टार्टअप सबसे सक्सेसफुल, जानें किन स्टार्टअप्स को आसानी से मिलेगी फंडिंग'

प्रदेश की कई मंडियों में 5 साल से उलझे है मामले, नई मंडी बनने की प्रक्रिया भी धीमी

कृषि मंडियों के विवादों में फंसा 1000 दुकानों व भूखंड़ों का आवंटन, व्यापारियों को नुकसान

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

प्रदेश की कृषि मंडियों में जमीन के विवाद और आपसी शिकायतों की वजह से 1000 से ज्यादा दुकानों व भूखंड़ों का आवंटन उलझा हुआ है। इससे कृषि विपणन की मंडियों का विकास नहीं हो पा रहा है। पुरानी मंडियों में ही दुकानों व भूखंड़ों के आवंटन का विवाद होने के कारण नई मंडियों के लिए जमीन अवाप्ति व प्लानिंग पर काम भी नहीं हो पा रहा है। दुकानों व भूखंड़ों का आवंटन नहीं होने के कारण किसान व व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। नई मंडियां नहीं खुलने से किसानों को अपनी अनाज व सब्जियों की उपज दूर दराज की मंडियों में लेकर जाना पड़ रहा है। मंडियों में महिला किसानों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।

अधिकांश मंडियों में प्रशासक, लंबे समय से नहीं हुई आवंटन समितियों की बैठक : प्रदेश की अधिकांश मंडियों में निर्वाचित चेयरमेन व बोर्ड नहीं है। इन मंडियों में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन के तौर पर लगा रखा है। ऐसे में में मंडियों की आवंटन समितियों की बैठक भी नहीं हुई है। आवंटन समिति में ही दुकानों व भूखंड के आवंटन को लेकर चर्चा की जाती है। अब मंडियों के मंडल के निर्वाचन को लेकर नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।

आवंटन अटकने की वजह

- मंडियों में सेक्टर रोड व हाइटेंशन लाइन का अलाइनमेंट तय नहीं होने से प्लानिंग नहीं।
- मंडियों में नीलाम किए गए भूखंड पर विवाद।
- कई जगह अवाप्त जमीन व भूखंड़ों की डीएलसी रेट में अंतर होने से आवंटन राशि जमा नहीं।
- कई साल पहले आवंटित दुकानों की आवंटन राशि के ब्याज व छूट को लेकर कंफ्यूजन।
- मंडियों में जमीन का सीमा ज्ञान विवाद।

जयपुर रीजन की उलझे हुए भूखंड व दुकान

मुहाना फल-सब्जी मंडी	700	मैड अनाज व फल-सब्जी मंडी	40
मुहाना अनाज मंडी	100	किशनगढ़ रेनवाल मंडी	30

मुख्यमंत्री ने देखी भारत संकल्प यात्रा की प्रगति रिपोर्ट

बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन ने संभाग और तीनों जिलों के जिला कलेक्टर ने जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा और विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पीएम आवास योजना की प्रथम किस्त की जारी

सीएम अधिकारियों से बोले- आपकी भूमिका जमीनी स्तर पर नजर आए

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-जनमन के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बांसवाड़ा की पंचायत समिति तलवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि पीएम-जनमन का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हुआ था। इसकी शुरुआत अंत्योदय के विजन की दिशा में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सशक्त बनाने एवं उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए की गई थी।

प्रदेश के विकास को नई गति देगी भाजपा सरकार, सभी वादे पूरे किए जाएंगे : राठौड़

भास्कर न्यूज़ | तारानगर (चूरू)

चौधरी गेस्ट हाउस में सोमवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। राठौड़ ने मौके पर ही अधिकारियों से सम्पर्क कर तत्काल समाधान करवाने की बात कहीं। जनसुनवाई के दौरान राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब विकास को नई गति प्रदान की जाएगी तथा प्रदेश की जनता के साथ किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तथा सभी को साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं।

2363 आवासों के लिए 58 हजार फॉर्म बिके

सूरत | जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वेसू, भीमराड, जहांगीरपुरा और डिंडोली में 2363 मकान का निर्माण किया जाएगा।

सांसद ने लिखा 'फिर एक बार मोदी सरकार' का नारा

लोस चुनाव प्रचार के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल ने की वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत

सिटी रिपोर्टर | सूरत

उत्तरायण पर्व के अवसर पर सोमवार को सूरत में उधना तीन रास्ते के साथ दोपहर 2 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भित्ति चित्रांकन कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने खुद दीवार पर "फिर एक बार-मोदी सरकार" का नारा अंकित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्र से लेकर राज्यों, शहरों और हर बूथ तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब बीजेपी को 283 सीटें मिली थीं तो एनडीए में हमें सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाना था। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीतीं और एनडीए ने दोबारा सरकार बनाई। अपने 10 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने जो कार्य और वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है। चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो या ट्रिपल तलाक हो। हर वादा पूरा किया गया है। जिसकी गारंटी मोदी जी देते हैं। इस गारंटी के माध्यम से लोगों को मोदी पर अटूट विश्वास है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से अनुरोध किया कि भारत की निर्बाध प्रगति के लिए आगामी 2024 के चुनावों में मोदीजी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें। इस वॉल पेंटिंग अभियान में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आज सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत करेंगे।

नाबालिग को फोन कर मिलने बुलाया, दुष्कर्म कर फरार हुआ

भास्कर न्यूज़ | वडोदरा

वडोदरा जिले के सावली तालुका के एक गांव में 17 साल की लड़की से रेप की घटना सामने आई है। इस घटना में आरोपी ने नाबालिग को अपने ही घर के वाडे में कॉल करके बुलाया और उससे जबरदस्ती दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर नाबालिग ने सावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार सावली तालुका के एक गांव में बीती रात करीब 11 बजे नाबालिग के पास उसके ही गांव के एक युवक का फोन आया। कॉल करने के बाद आरोपी ने नाबालिग को उसके घर के वाड़े में मिलने के लिए बुला लिया। इसके बाद नाबालिग जब उसके घर के वाड़े में मिलने पहुंची तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। बाद में जब नाबालिग के परिवार को इस घटना के बारे में पता चला तो वे सावली थाने पहुंचे।

तेलंगाना हाउस आवंटन निरस्त, परिचालन समिति की बैठक में मंजूर

भास्कर न्यूज़ | अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण ने तेलंगाना राज्य के फेसेलिटी सेन्टर कम रूबाथ (गेस्ट हाउस) का कोटड़ा आवासीय योजना में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण की परिचालन समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। आवंटन निरस्त करने के लिए क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने तथा अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पत्र का हवाला दिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार कोटड़ा आवासीय योजना क्षेत्र के निवासियों, संगठनों तथा समितियों द्वारा कोटड़ा में भूमि आवंटन का विरोध किया जा रहा था। आवासीय योजना में जायरीन के लगातार आवागमन से स्थानीय निवासियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए भूमि आवंटन अन्यत्र किए जाने की मांग की गई थी।

राजस्थानः जेडीए की कैडर स्ट्रैथ के प्रस्ताव पर कांग्रेस सरकार का नोट बीजेपी सरकार ने हटाया

जयपुर | जेडीए की कैडर स्ट्रैंथ के प्रस्ताव पर पिछली कांग्रेस सरकार ने जाते जाते नोट लगा दिया था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने आते ही उस नोट को हटा दिया। इसके साथ ही कैडर स्ट्रैंथ का रास्ता साफ हो गया है। जेडीए का काडर स्ट्रैंथ को लेकर प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2023 को सरकार के पास पहुंचा था कुछ इन बाद सरकार ने रिव्यू के साथ काडर स्ट्रैथ पर नोट लगा दिया था। इस कारण सारा मामला अटक गया था। अब बीजेपी सरकार ने आते ही 5 जनवरी को उसे निस्तारित करते हुए नोट हटा दिया।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

बेज़ सं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला-134151 (वेबसाइट-www.hssc.gov.in)

ग्रुप-डी पदों के लिए 21 और 22 अक्टूबर, 2023 को आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी)-2023, हरियाणा के परिणाम की घोषणा के संबंध में उम्मीदवारों को सूचना

ग्रुप-डी पदों हेतु 21 एवं 22 अक्टूबर, 2023 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) -2023, हरियाणा का परिणाम उम्मीदवारों की लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिया गया है। स्कोर कार्ड में सामाजिक-आर्थिक मानदंड अंक अनंतिम रूप से दर्शाए गए हैं, लेकिन सीडब्ल्यूपी नंबर 25781/2023 शीर्षक वरुण भारद्वाज बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य और अन्य जुड़े मामलों के अंतिम परिणाम तक ये निलंबित रहेंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर उपलब्ध लिंक https://cnr.nic.in/NTAResult/HSSCGroupD/Login?apprefno=101552311 पर अपने पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपना सीईटी स्कोर कार्ड जांचें/डाउनलोड करें।

1. उम्मीदवार को परिणाम/स्कोर कार्ड डाउनलोड करने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्देशः-

1. यह स्कोर कार्ड परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या जब तक नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की सिफारिश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नहीं की जाती, जो भी पहले हो, वैध है।
2. यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट किया गया स्कोर कार्ड है। इसलिए, किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
3. श्रेणी, उप-श्रेणी सहित अभ्यर्थी का विवरण उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र में/परिवार पहचान पत्र के अनुसार उसके दावे के अनुसार दर्शाया गया है। यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है, तो उम्मीदवार को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आयोग यानी एचएसएससी द्वारा निर्धारित समय के भीतर एचएसएससी से संपर्क करना चाहिए।
4. *सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अंक अनंतिम हैं और एचएसएससी द्वारा सत्यापन पर परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, यदि भर्ती के दौरान या नियुक्ति के बाद भी किसी भी समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा सामाजिक-आर्थिक मानदंड अंक प्राप्त करने के लिए किया दावा निराधार है और/या उम्मीदवार द्वारा गलत तरीके से गलत दावा किया गया है और भ्रामक जानकारी या गलत जानकारी वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
5. परीक्षा के समय उम्मीदवार के लिए गए बायोमेट्रिक्स (उंगलियों के निशान और फोटो) की तुलना वास्तविक ज्वाइनिंग से पहले उसके बायोमेट्रिक्स से की जाएगी और सत्यापित किया जाएगा और यदि कोई कदाचार पाया जाता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. पात्र उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड, स्व-घोषणा, सहायक दस्तावेज आदि को निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।
7. नियुक्ति के लिए विचार के उद्देश्य से शॉर्टलिस्टिंग पात्रता, योग्यता सूची में रैंक, मेडिकल फिटनेस, उसके दावे के समर्थन में मूल दस्तावेजों के सत्यापन और ऐसे अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी जो एचएसएससी और नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित किए जा सकते हैं।
8. यदि उम्मीदवार किसी भी स्तर पर गलत जानकारी प्रस्तुत करता है या इस स्कोर कार्ड के साथ छेड़छाड़ करता पाया जाता है, तो उसे अनुचित व्यवहार का उपयोग करने वाला माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो उचित समझी जाएगी।
9. प्राप्त किए गए कच्चे अंकों को सामान्यीकृत अंकों में बदल दिया गया है। सामान्यीकृत अंकों पर विस्तृत प्रक्रिया के लिए कृपया वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाएं।
10. केवल सीईटी-2023 में उपस्थित होने और इस स्कोर कार्ड को रखने से उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है और यह सीईटी स्कोर की वैधता के दौरान समय-समय पर जारी किए गए नोटिस/निर्देश/विज्ञापन द्वारा शासित होगा। उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर नियमित रूप से जाना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी।
11. यह सीईटी स्कोर हरियाणा सरकार समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं. 42/119/2019-5GS-I दिनांक 05.05.2022 के तहत जारी किया जाता है। उम्मीदवार उक्त अधिसूचना के नियमों एवं शर्तों से बंधा हुआ है।

*** नोट : 1: 2023 के सीडब्ल्यूपी नंबर 25781 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2023 के अंतरिम निर्देश के मद्देनजर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अंक निलंबित कर दिए गए हैं। इसलिए, सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अंक दिए जाएंगे। निलंबित में और 2023 के सीडब्ल्यूपी नंबर 25781 के अंतिम परिणाम तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका शीर्षक वरुण भारद्वाज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और अन्य संबंधित मामले हैं।**

स्थानः पंचकूला
दिनांकः 12 जनवरी, 2024
1159/13/605/2024/24189/10/6

हस्ता/-
सचिव
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051,
ब्रांच ऑफिस : 1/11, पहली मंजिल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 कॉर्पोरेट पहचान संख्या- L65110MH1985PLC038137, www.kotak.com

अचल संपत्ति की ई-नीलामी सह बिक्री की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की तदुपरांत बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी, जमानतदार (रों) और या बंधककर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है, कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) गिरवी रखी गई हैं, जिन्हें **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** ("सिक्योर्ड क्रेडिटर") को प्रभारित किया है जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है जिसे **"जैसा है जहां है", जैसा है जो है आधार", और "जो कुछ भी है आधार" के आधार** पर ई-नीलामी के माध्यम से जो **रुपये 22,66,15,651.79/- (रुपये बाईस करोड़ छियासठ लाख पंद्रह हजार छह सौ इक्यावन व उन्यासी पैसे मात्र) की वसूली के लिए 02 फरवरी, 2024** को बेचा जाएगा। **यह 30 सितंबर, 2019 के अनुसार देय है जो डिमांड नोटिस दिनांक 04.10.2019 के अनुरूप है** व जिसके साथ आगे के ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ संविदात्मक दरों पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू होने पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार होने के नाते उन्हें **1. मैसर्स जे प्रसाद एंड कंपनी प्रा. लि. ("उधारकर्ता") और 2. श्रीमती अविनाश चावला ("गारंटर" / "बंधक") और 3. श्री अमित चावला ("गारंटर")** की ओर से बकाया है। नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/विवरण, आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा और नीलामी अनुसूची नीचे दी गई हैः

क्र. सं.	गिरवी रखने वाले का नाम	ई-नीलामी के लिए रखी गई अचल/चल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य
			(रु.)/बयाना जमा राशि
लॉट I	श्रीमती अविनाश चावला	भूतल में चार दुकानों और एक गोदाम में वाणिज्यिक संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल और मेजेनाइन फ्लोर के हिस्से (साइट प्लान में लाल रंग में दिखाया गया है जो विभाजन विलेख दिनांक 02.03.2000 (उक्त भाग) संपत्ति संख्या 29/1 का हिस्सा है, शक्ति नगर, रोशनआरा एक्सटेंशन स्कीम, दिल्ली में स्थित, कुल क्षेत्रफल 2520 वर्ग फुट, साथ में सभी मौजूदा भवन और संरचनाएं जो संबंधित बंधक की तारीख से / उसके बाद किसी भी समय निर्मित / स्थापित की जा सकती हैं और सभी अतिरिक्त उसके और सभी जुड़नार और फर्नीचर और पृथ्वी से जुड़े सभी संयंत्र और मशीनरी या स्थायी संरचना जो वर्तमान और भविष्य दोनों में पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है।	रु. 6,88,00,000/- (रुपए छः करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) रु. 68,80,000/- (रुपए अडसठ लाख अस्सी हजार मात्र)

ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 01 फरवरी, 2024 को या पहले सायं 04.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि और समय : 02 फरवरी, 2024, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक। प्रत्येक 5 मिनिट अवधि के असीमित विस्तार के साथ।

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक और संभावित खरीदारों के अनुरोध पर, **23 जनवरी, 2024** को दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उक्त संपत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:

1. ई-नीलामी **02 फरवरी, 2024** को वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी, 5 मिनट की अवधि के असीमित एक्सटेंशन के साथ।
2. ई-नीलामी के विवरण के लिए, इच्छुक बोलीकर्ता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर -44, गुड़गांव, हरियाणा, संपर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान- 98138-87931, ईमेलः delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com, हेल्पलाइन नंबर +91-124 4302020\2021\2022\2023\2024 सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91-7291981124\25\26.**
3. नीलामी के विवरण और बिक्री के नियमों और शर्तों के लिए इच्छुक बोलीकर्ता बैंक की आधिकारिक वेबसाइट - **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/अथवा https://auctions.kotak.com** पर जा सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
6. बोली फॉर्म को निर्धारित प्रारूप में भरना होगा और केवल बोली लगाने वालों के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 01 फरवरी, 2024 को सायं 4.00 बजे तक या उससे पहले ऑनलाइन जमा / अपलोड करना होगा और बोली लगाने वालों के विधिवत भरे और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों और केवाईसी की स्कैन प्रतियां **dipanshu.singh@kotak.com** पर मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। बोली लगाने वाले को ईमेल का विषय **"मैसर्स जे. प्रसाद एंड कंपनी प्रा.लि.के खाते में संपत्ति की खरीद के लिए"** लिखना होगा।
7. संभावित बोलीकर्ता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. से उपरोक्त संपर्क नंबरों पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. बयाना राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से **खाता सं. 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोडः केकेबीके0000958 में 01 फरवरी, 2024 को सायं 4.00 बजे तक या उससे पहले जमा की जाएगी।** एनईएफटीआरटीजीएस/फंड ट्रांसफर केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी और / अथवा जमा करने या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेजों को जमा करने में देरी के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी बोली भागीदारी और इंटर-से - बिडिंग प्रक्रिया को अधिकतम करने के लिए, अपने विवेकाधिकार पर और अपने संतुष्टि, किसी व्यक्ति को कोई खुलासा किए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली / बोलियों को स्वीकार कर सकता है। ईएमडी राशि जमा किए बिना प्रस्तुत की गई कोई भी बोली स्वतः अस्वीकृत हो जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
9. प्रस्तुत किया जाने वाला बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और / या उससे अधिक होगा और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये केवल) के गुणकों में अपने आगे के प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
10. यदि आपकी नीलामी प्रक्रिया बंद होने के समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर कोई बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता को आपकी नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई-नीलामी के दिन कारोबार का समय बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर उच्चतम बोली राशि (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा। ऊपर के रूप में निर्धारित मोड में। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा जिस पर बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की सूचना ऐसे सफल बोलीदाता को दी जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि जो अधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगी और सरफेसी अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान की समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा और सफल नीलामी क्रेता को ऐसी स्थिति में, जबरन दुर्घटना का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वह किसी भी कारण से निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।
12. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और स्वत्वाधिकार नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है बशर्ते नीलामी की पूरी कीमत और अन्य आकस्मिक व्यय की वसूली हो। बिक्री ई-नीलामी के नियमों और शर्तों और सुरक्षित लेनदार द्वारा उस आशय की पुष्टि के अधीन होगी।
13. यदि सफल बोलीकर्ता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीकर्ता द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और डिफ़ॉल्ट बोलीकर्ता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर कोई दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्तियों के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी की जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा, जिसमें बोली प्रस्तुत की गई है। बोली में उल्लिखित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल करने/प्रतिस्थापन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. बिक्री प्रमाण पत्र आयोजित नीलामी हेतु सफल बिडर को जारी किया जायेगा।
17. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/ फंड ट्रांसफर के माध्यम से 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
18. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई-नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली प्रस्तुत करने के बाद ई-नीलामी बिक्री को स्थगित करने या रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी निजी संधि द्वारा संपत्ति बिक्री के लिए किसी भी बोली लगाने वाले या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
19. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। स्पष्ट किया जाता है कि यह आमंत्रण भावी बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और यह नीलामी को प्रभावित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लि. पर किसी भी बाध्यकारी दायित्व को निर्मित नहीं करता है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बगैर कोई कारण बताएं एवं बगैर किसी दायित्व के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने तथा / अथवा स्वीकार नहीं करने तथा / अथवा किसी इच्छुक पार्टी/ सभांवित निवेशक/बोलीदाता को अयोग्य ठहराने का अधिकार सुरक्षित है।
20. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है / चेतावनी दी जाती है कि बैंक के पास एक दुकान को छोड़कर, जो विवादित किरायेदारी के तहत है, यहां ऊपर उल्लिखित पूरी संपत्ति का भौतिक अधिकार है। पट्टेदार / किराएदार ने माननीय डीआरटी-III, नई दिल्ली के समक्ष टीएसए सं. 490/2022 के माध्यम से 25 वर्गगज क्षेत्र की एक दुकान वाले विवादित किराए के परिसर के लिए एसए दायर किया है, 29/1, नगिया पार्क, शक्ति नगर, दिल्ली-7 ("किरायेदार परिसर") के रूप में वर्णित बड़े भूखंड का हिस्सा बनाने वाले 12 वर्ग गज क्षेत्र के गज और मेजेनाइन फर्श और "अविनाश चावला बनाम दर्शन लाल" शीर्षक से बेदखली के लिए एक मुकदमा चावला", ई नं. 02/17, नया नंबर 18/17, किराए के परिसर के संबंध में जो किराया नियंत्रक, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है। बैंक माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उचित रूप से किरायेदारी के दावे का बचाव कर रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर को ऊपर वर्णित विवाद के अलावा नीलामी के तहत संपत्ति के संबंध में किसी अन्य मुकदमेबाजी/दावे/विवाद की जानकारी नहीं है।
21. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकारी के बकाये जैसे कि नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या कर, हस्तांतरण शुल्क/शुल्क सहित के बारे में स्वतंत्र पूछताछ करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, या किसी अन्य बकाया राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें।
22. आयोजित की गई नीलामी बिक्री में बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने की स्थिति में और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा रोक दी जाती है, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्ज़ा सौंपने तक किसी भी स्तर पर, बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकने सहित लेकिन सीमित नहीं है, तो बोली लगाने वाले को ईएमडी/उसके द्वारा जमा की गई राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या नुकसान और/या दावों के जमा किए गए धन को वापस कर देगा और इस संबंध में किसी भी तरह के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक बकाया / अन्य बकाया खरीदार को वहन करना होगा।
24. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी-सह-बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/ शुल्क सहित कोई भी अन्य बकाया या कर केवल सफल बोलीदाता/क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा।
25. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं) केवल उच्चतम बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री के प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को मंजूरी / प्रतिपूर्ति की गई। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी उचित और उचित देरी पर छूट के लिए विचार किया जाएगा।
26. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल 50,00,000.00 रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री आय पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बंधककर्ता श्री अविनाश चावला, पैन सं. AACPC7230L के पक्ष में लागू टीडीएस (0.5%) के पक्ष में (0.5%) कटौती और जमा करेगा। बिक्री मूल्य और आयकर विभाग के पास जमा करें। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। बैंक द्वारा सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस जमा करने का प्रमाण देने वाले चालान की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।
27. बिक्री सख्ती से **"जैसा है जहां है के आधार पर", "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ भी है के आधार पर"** यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों पर होगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी को परिवर्तन करने का पूर्ण विवेकाधीन अधिकार होगा। या किसी भी नियम और शर्तों को बदल सकते हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बाधा के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें, उप-पंजीयक कार्यालय और राजस्व अभिलेखों और नगरपालिका अभिलेखों और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी अभिलेखों में खोज करें और संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति के बारे में खुद को संतुष्ट करें। संबंधित संपत्ति के लिए बोली जमा करने से पहले कोई भी भार, ग्रहणाधिकार, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि। कृपया ध्यान दें कि बैंक/प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/यों/परिसंपत्तियों के फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी सख्ती से बिना किसी सहारा के आधार पर होगी।
28. यदि बैंक की देय सभी लागतों, शुल्कों और उनके द्वारा किए गए खर्चों या उसके हिस्से के साथ, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी / गारंटर / गारंटर / रों / बंधककर्ता / ओं द्वारा / की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय संपत्ति की नीलामी/बिक्री को रद्द किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर देता है या बदल देता है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
29. सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक की देय सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ बैंक या उसके भाग द्वारा आरक्षित मूल्य से अधिक या उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, इंटर-से बोली के बाद प्राप्त होती है, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है नीलामी के लिए निर्धारित तिथि पर या उससे पहले किसी भी समय ऋणी/ओं/जमानतदारों/बंधककर्ता/ओं द्वारा/की ओर से उनके एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से, उनके द्वारा पहचाने जाने पर/की ओर से निविदा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिक्री या नीलामी की एक ही तारीख पर या उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित बोली औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले / बाद में और बिक्री पुष्टि पत्र जारी होने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी किसी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर देता है या इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम हो। बोलीदाता और/या सफल बोलीदाता द्वारा कोई प्रति-प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
30. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद या बदल सकता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
31. यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेगा।
32. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए; पावर बैक अप इत्यादि, बैंक इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
33. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/यों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
34. यदि अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय भाषा के समाचार पत्र का स्थान ले लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
35. वर्तमान नोटिस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पार्टियां इसे भी देख सकती हैं।
36. अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नं. +91-9953965199) या बैंक के अधिकारी, श्री अजय निगम (मोबाइल नंबर +91 - 7291971536) से संपर्क करें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस की तारीख से **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर पूरी देनदारी का भुगतान करें और अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ उपरोक्त वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर "सुरक्षित संपत्ति" (ऊपर उल्लिखित) ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा।

स्थान : दिल्ली,
दिनांकः 15 जनवरी, 2024

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए,
अधिकृत अधिकारी